बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०– पि०व०/4/वि०यो०–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

संकल्प

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक रू0 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू0 2400/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू0 3600/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 17,51,56,00,000/– (रू0 सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–67 दिनांक–10.01.2023 के द्वारा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर कक्षा–I से IV तक रू0 600/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू0 1200/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू0 1800/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 3000/– वार्षिक के आधार पर एकमुश्त भुगतान की जा रही थी।

2. उक्त योजनान्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 के द्वारा तत्कालीन संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से कक्षा–I से X के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर ही राशि उपलब्ध करायी जा रही थी।

3. राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति दर में विगत 13 वर्षों के दौरान कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए उक्त छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की आवश्यकता पर विचार किया गया, ताकि सरकारी संस्थान में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ अधिकतम छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक रू0 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू0 2400/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू0 3600/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 17,51,56,00,000/– (रू0 सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. योजना अंतर्गत उपर्युक्त वर्द्धित (पुनर्निर्धारित) दर दिनांक–01.04.2025 से प्रभावी होगा।

6. बजट शीर्ष–

राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष के तहत भारित होंगेः–

(क) लघु शीर्ष–197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता, उप शीर्ष–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष–31 सहायता अनुदान (0101–31–06–सहायता अनुदान–गैर वेतन), विपत्र कोड 11–2225031970101

~~(ख) लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष–0101 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय~~ शीर्ष–31 सहायता अनुदान (0101–31–06– सहायता अनुदान गैर वेतन), विपत्र कोड 11–2225031980101

(ग) लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–34– छात्रवृति/वजीफा (0101–34–01–छात्रवृति/वजीफा) विपत्र कोड–11– 2225032770101

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक–29.01.2026** में **मद संख्या–11** के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/02/26

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2022– 226 पटना, दिनांक– 3/2/26

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के बैठक के मद संख्या–11 दिनांक–29.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

D/Puja sinha2024/sankalp (m)

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—03 / 2022— 226 पटना, दिनांक— 3/2/26

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—03 / 2022— 226 पटना, दिनांक— 3/2/26

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग / निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—03 / 2022— 226 पटना, दिनांक— 3/2/26

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—03 / 2022— 226 पटना, दिनांक— 3/2/26

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/02/26

अपर मुख्य सचिव।

D/Puja sinha2024/sankalp (m)